ISSN 2321-0567
Vol. X, Issue II (Oct. – 2022)

महिला सशक्तिकरण में राजनीतिक सहभागिता की भूमिका (गाज़ियाबाद जनपद का एक अध्ययन)

मीनाक्षी राज, शोधार्थिनी

एवं

डॉ. रामचंद्र लसह, सहायक प्रोफेसर

शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

सारांश

सशक्तीकरण की प्रक्रिया महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति प्रदान करती है। शक्ति का आभास व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता को उत्पन्न करता है। राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की राजनीति में सहभागिता को बढ़ाना आवश्यक है। महिलाओं की न्यून राजनीतिक सहभागिता विभिन्न अध्ययनों का विषय रही है क्योंकि राजनीति निर्णय निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहाँ कि राजनेताओं द्वारा लिए निर्णय समाज को प्रभावित करते है। राजनीति में शक्ति निहित है, जो कि अन्य सामाजिक संस्थाओंपर विधि के द्वारा अपने निर्णयों को लागू करती है। राजनीतिक पद पर आसीन व्यक्ति के पास सत्ता केन्द्रित होती है, जो कि उसे समाज के लिए वैधानिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। विश्व स्तर पर यदि देखें तो महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बहुत कम है। विश्व की आबादी का आधा भाग है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रीय संसद में उनकी सहभागिता पचास प्रतिशत भी नहीं है। वर्तमान में सभी सरकारों व संस्थाओं द्वाराइसबातपर बल दिया जानेलगाहै कि महिला व पुरुष का राजनीति में प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होना चाहिए।

मुख्य शब्द– सशक्तिकरण, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिकसहभागिता

प्रस्तावना

सशक्तीकरण जोकिएक बहुआयामी अवधारणा है। जिसका सम्बन्ध व्यक्ति की सामाजिक उपलब्धियों, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा होता है। सशक्तीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जिसका सम्बन्ध निर्णय लेने की क्षमता लोकतान्त्रिक माध्यम से दूसरों की धारणाओं को बदलने की क्षमता, परिवर्तन के सम्बन्ध में सकारात्मक सोच आदि से है। बाटलीवाला

(1994) के अनुसार, सशक्तीकरण का अर्थ संसाधनों (भौतिक तथा बौद्धिक) तथा विचारधारा पर नियंत्रण से है। यह मौजूदा शक्ति सम्बन्धों को चुनौती देने की और शक्ति के स्त्रोत पर अधिक नियंत्रण पाने की प्रक्रिया है अर्थात् सशक्तीकरण का तात्पर्य शक्ति की वृद्धि से है। सुषमा सहाय (1998) के अनुसार सामान्य रूप से सशक्तीकरण का अर्थ शक्ति के पुनर्वितरण से है, जो कि पुरूष प्रभुत्ता और पित्रसत्तात्मक विचारधारा को चुनौती देता है। महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्ति निहित है अर्थात् समाज में परंपरागत रूप से चली आ रही अन्यायपूर्ण स्थितियों का तर्क की दृष्टि से विरोध करने व निर्णय लेने की क्षमता या सामर्थ्य है। महिला सशक्तीकरण संसाधनों पर नियंत्रण अथवा शक्ति हासिल करने और महिलाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमताओं पर बल देती है। महिला सशक्तीकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में नैरोबी में सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गयी थी। इसके बाद विश्व के सभी भागों में इसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया। महिला सशक्तीकरण का सामान्य अर्थ महिला को शक्तिसम्पन्न बनाना है। जबकि विशिष्ट अर्थ में समाज की शक्ति संरचना में महिला के पद स्थिति को सुद्धारण प्रदान करना है। अर्थात् महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं में वैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है।

1995 में बीजिंग में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इस बात पर बल दिया गया कि समाज में विकास, शांति व समानता के लिए आवश्यक है कि महिलाऐं सशक्त हो तथा समानता के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता हो। अतः सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाऐं विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी होती है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार द्व ारा संविधान में 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन द्व ारा पंचायतीराज तथा नगर निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। अतः सशक्तीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जो समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समानता तथा स्वायत्त रूप से निर्णय लने की प्रक्रिया में सक्षम बनाती है। महिला सशक्तीकरण को मापने के लिए विभिन्न अध्ययनों में शिक्षा, संसाधनों पर नियंत्रण और उनकी सुलभता, आत्मनिर्भरता, सम्मान, अधिकारों के लिए संघर्ष, शक्ति, स्वतंत्रता, स्वायत्तता, निर्णय लेने की क्षमता के सन्दर्भ में महिला की शक्ति आदि सूचकों का प्रयोग किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 1995 में मानव विकास के दो सूचकांक : लिंग आधारित • विकास सूचकांक तथा लिंग आधारित सशक्तीकरण सूचकांक है। जी. डी. आई. में महिला तथा पुरुष में आधारभूत आवश्यकताओं के आधार पर असमानता को आँका जाता है। जीईएम एक ऐसा सूचक है जिसके द्वारा महिला की राजनीतिक सहभागिता आर्थिक सहभागिता तथा आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण को मापा जाता है। भारत की 2020 कीरिपोर्टमें विश्व में मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.645 है जो कि विश्व के देशों की अपेक्षा कम है।

सशक्तीकरण की प्रक्रिया महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति प्रदान करती है। शक्ति का आभास व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता को उत्पन्न करता है।

ISSN 2321-0567
Vol. X, Issue II (Oct. – 2022)

इस अध्ययन में उत्तरदात्रियों द्वारा क्षेत्र विशेष की समस्या को निगम की बैठक में उठाना, राजनीतिक बैठक का नेतृत्व करना, स्वयं के दल की किसी इकाई की अध्यक्ष, महिला का चयन राजनीतिक दल द्वारा राष्ट्रीय स्तर की बैठक में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु तथा महिलाओं के संस्था में किसी कमेटी की अध्यक्ष, क्षेत्र का नेतृत्व कर कॉलोनी की समस्या को सांसद/विधायक के समक्ष उठाना, संस्था में किसी सेमिनार का आयोजन आदि के आधार पर नेतृत्व विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।

किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक जागरूकता से तात्पर्य राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ज्ञान से है। यह राजनीतिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के साथ राजनीतिक व्यवस्था के प्रति समझ को प्रदर्शित करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था व मूल्यों के प्रति चेतना विकसित करते है, उनमें रूचि लेते है तथा इसके फलस्वरूप व्यक्ति देश में हो रही विभिन्न राजनीतिक घटनाओं तथा परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। राजनीतिक जागरूकता का स्तर उच्च होना लोकतंत्र के सफल संचालन में दूरगामी परिणामों का घोतक है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के फलस्वरूप स्त्री– पुरूष समानता के प्रावधान है। महिला पुरुष समानता के सिद्धान्त को कानूनी मान्यता के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में महिला भागीदारी कम है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महिलाओं की क्रियाशीलता सार्वजनिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में कम थी। भारत में महिलाओं को मताधिकार के पश्चात् महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा भारत में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ही महिलाएँ सक्रिय हुई। महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में रूचि एवं सहभागिता बढ़ाने में भारतीय महिला संघ, भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद् तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन संघों की ऐतिहासिक शुरूआत ने महिला मुद्दों को व्यापक राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान किया।

विश्व के अधिकांश देशों में राजनीति में महिलाओं की सहभागिता कम ही है। महिलाएं विश्व की आबादी का आधा भाग है लेकिन विश्व के विभिन्न देशों की संसद में महिला प्रतिनिधित्व मात्र 20.87 प्रतिशत है। विश्व के सभी देशों में महिलाओं को वैधानिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन राजनीति में भी लैंगिक असमानता व्याप्त है। विश्व स्तर पर राजनति में महिला सहभागिता बहुत कम है। विश्व में विकसित देशों में महिला सहभागिता कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्र प्रमुख पद पर एकमात्रपहली बारकमलाहैरिसउपराष्ट्रपतिबनपायीहै, जबकि श्रीलंका, फिलीपीन्स, इंडोनेशिया तथा भारत में महिलाएं राष्ट्र प्रमुख के पद पर आसीन रही है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिला सहभागिता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। महिलाओं की शिक्षा तथा परम्परागत पुरूष प्रधान रोजगार क्षेत्रों में संख्या बढ़ी है लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अभी महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त है। पुरुष प्रधान राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम है तथा वे इस क्षेत्र में अभी बूँद मात्र है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की राजनीति में सहभागिता को

बढ़ाना आवश्यक है। महिलाओं की न्यून राजनीतिक सहभागिता विभिन्न अध्ययनों का विषय रही है क्योंकि राजनीति निर्णय निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहाँ कि राजनेताओं द्वारा लिए • निर्णय समाज को प्रभावित करते है। राजनीति में शक्ति निहित है, जो कि अन्य सामाजिक संस्थाओं (परिवार, शिक्षा आदि) पर विधि के द्वारा अपने निर्णयों को लागू करती है। राजनीतिक पद पर आसीन व्यक्ति के पास सत्ता केन्द्रित होती है, जो कि उसे समाज के लिए वैधानिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। विश्व स्तर पर यदि देखें तो महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बहुत कम है। विश्व की आबादी का आधा भाग है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रीय संसद में उनकी सहभागिता पचास प्रतिशत भी नहीं है। इस तथ्य को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी विभिन्न सम्मेलनों उठाया गया है तथा इस बात पर बल दिया गया कि महिला व पुरुष का राजनीति में प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होना चाहिए। व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता की प्रेरणा क्या है ? किसी देश में राजनीतिक प्रवेश की प्रथम सीढ़ी केवल राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त करना ही नहीं है वरन् महिलाओं के राजनीति में प्रवेश के लिए प्राथमिक स्तर पर महिला में राजनीतिक महत्वकांक्षा का होना जरूरी है। द्वितीय, राजनीतिक दल द्वारा समर्थन प्राप्त करना, तृतीय, प्रतिनिधि के रूप में जनमत का समर्थन तथा चतुर्थ स्तर पर महिलाएं राष्ट्रीय व स्थानीय विधायिकाओं में प्रवेश करती है। नोरिस ने महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता का मॉडल दिया है जिसे माटलैन्ड द्वारा परिष्कृत किया गया है। माटलैण्ड के अनुसार महिलाओं में राजनीति में प्रवेश के लिए राजनीतिक महत्वकांक्षा, संसाधन होने जरूरी है तथा राजनीतिक दल द्वारा चुनावों में उम्मीदवार के रूप समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा अंतिम चरण के रूप में मतदाता द्वारा मत देकर विधायक के रूप में चुना जाना चाहिए।

साहित्य–समीक्षा

उमेश प्रताप सिंह एवं राजेश कुमार गर्ग ने (2012) ''महिला सशक्तिकरण विभिन्न आयाम'' में महिला सशक्तिकरण के ऊपर प्रकाश डाला है। महिला सशक्तिकरण की वर्तमान में प्रासंगिकता को बताते हुऐ आज के युग में महिला किस प्रकार सशक्त हो रही है का विवेचन किया है तथा बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार महिला अपने अस्तित्व की पहचान कर रही है।

रोहित मिश्रा ने (2011) "समाज कार्य एवं महिला सशक्तिकरण" में महिला सशक्तिकरण के ऊपर प्रकाश डाला है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है परन्तु वे समाज में है पाए जाने वाले उपलब्ध संसाधनों के आधे पर अधिकार रखते हुऐ भी उसका लाभ नहीं उठा पाती है। यद्यपि सरकारी स्तर पर महिलाओं के लिए अनेक विधिक प्रावधान है परन्तु उनकी पहुँच उन तक नहीं हो पा रही है। प्रस्तुत पुस्तक में वैश्विक स्तर पर महिला अधिकारी की स्थिति का वर्णन करते हुऐ महिलाओं की भूमिका और महिला संशक्तिकरण का वर्णन किया हैं।

डॉ. संगीता विजय' (2011) ने अपनी पुस्तक "महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एक तुलनात्मक अध्ययन", में लेखिका ने महिला राजनीतिक सहभागिता के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य का विवेचन किया गया है। भारत संघ के राजस्थान राज्य के

ISSN 2321-0567
Vol. X, Issue II (Oct. – 2022)

विकसित एवं पिछड़े जिलों की महिलाओं की मतदाता एवं प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक जागरूकता अभिमुखीकरण, राजनीति के प्रति में अनुक्रियाएँ, अभिमत एवं राजनीतिक सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है।

निशांत सिंह ने (2008), "महिला राजनीति और आरक्षण" में महिला आरक्षण बिल तथा राजनीति में महिला आरक्षण का उल्लेख किया है। भारत में राजनीति का आधार पंचायती राज व्यवस्था है। राजनीति में भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी को किसी भी वर्ग में विकास का पैमाना माना जाता है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि महिलाएँ विकास के मामले में अभी काफी पीछे है। महिलाओं को विकास में हिस्सेदारी देने के लिए जरूरी है कि राजनीति में उनके भागीदारी हो। इस सबके लिए ना केवल पंचायती राज स्तर पर वरन् विधायिका एवं संसद में भी महिला आरक्षण आवश्यक है।

शोध–शीर्षक

"महिला सशक्तिकरण में राजनीतिक सहभागिता की भूमिका"

शोध के उद्देश्य

1. क्या महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से महिलाएं सशक्त होती है।
2. क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से परिवार में उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है।
3. क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।
4. क्या राजनीतिक सहभागिता से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
5. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से लैंगिक असमानता मे कमी हुई है।
6. स्थानीय चुनावों में महिला आरक्षण के द्वारा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक शोध विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध की जनसंख्या व प्रतिदर्शः–

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु गाज़ियाबाद जनपद का चयन शोध पत्र किया गया है। प्रस्तुत शोध हेतु न्यादर्श के लिए यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा 150 महिलाओं का चयन प्रतिदर्श के रूप में किया गया है।

शोध उपकरण प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत सांख्यिकीय विधि आँकड़ों की व्याख्या हेतु सांख्यिकीय विधि के अन्तर्गत प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया है। प्रदत्तों का विश्लेषण, परिणाम एवं व्याख्या प्रदत्तों का संकलन करने के पश्चात् प्राप्त प्रदत्तों की परिकल्पना अनुसार विश्लेषण एवं व्याख्याउत्तरदात्रियो की आयु, जाति, शैक्षिक स्तर, वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है दृ

कुल उत्तरदाताओं का आयु के आधार पर 18–25 वर्ष आयु की 15 प्रतिशत, 26–35 वर्ष की 56.3 प्रतिशत एवं 36 से अधिक आयु की 28.7 प्रतिशत महिला थी। उत्तरदाताओं की जाति संरचना का वर्गीकरण करने पर ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग से, 31.7 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से एवं 28.3

प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति से संबंधित है। वैवाहिक स्थिति के अनुसार 78.3 महिलाएँ विवाहित व 21.7 महिलाएँ अविवाहित है तथा शैक्षिक स्तर के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 76 प्रतिशत शिक्षित व 24 प्रतिशत अशिक्षित है।

1. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से क्या महिला सशक्त होती है ?

तालिका–1

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	110	73.3
2	नहीं	40	26.7
	कुलयोग	150	100

जब उत्तर दात्रियो से पूछा गया कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से क्या महिला सशक्त होती है? तो लगभग तीन–चौथाई उत्तर दात्रियो ने माना कि राजनीतिक भागीदारी से महिलाएँ आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनती है।

स्वस्थ प्रजातांत्रिक समाज के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है राजनीति में महिलाओं के प्रवेश के लिए आवश्यक है कि उन्हें इस क्षेत्र में पुरूषों के समकक्ष अवसर दिये जाये ताकि वे महिला अधिकारी की सुरक्षा के साथ–साथ देश और समाज के विकास में भी अपना योगदान दे सकें।

2. क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से परिवार में उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है?

तालिका–2

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	127	84.7
2	नहीं	23	15.3
	कुलयोग	150	100

पारिवारिक संस्था के कारण महिलाओं की राजनीति में भागीदारी प्रभावित होती है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से परिवार में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है।

प्रस्तुत तालिका संख्या 2 से स्पष्ट है कि 84.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना है कि राजनीतिक भागीदारी से परिवार में उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है परन्तु 15.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना है कि राजनीतिक भागीदारी से परिवार में उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

3. क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है?

तालिका–3

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	136	90.7
2	नहीं	14	9.3
	कुल योग	150	100

महिलाओं की सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा राष्ट्रीय चरित्र को प्रभावित करती है यदि स्त्रियाँ पिछड़ी हुई है तो घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व सभी पिछड़ जायेगें।

तालिका संख्या 3 से स्पष्ट हैं कि 90.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना हैं कि राजनीतिक भागीदारी से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ हैं। 9.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से महिलाओ की सामाजिक स्थिति में कोई सुधार नही हुआ हैं। निष्कर्ष से कहा जा सकता हैं कि राजनीतिक भागीदारी से समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत हो रही हैं।

ISSN 2321-0567
Vol. X, Issue II (Oct. – 2022)

4. क्या राजनीतिक सहभागिता से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है ?

तालिका–4

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	109	72.7
2	नहीं	41	27.3
	कुल योग	150	100

प्रस्तुत तालिका संख्या 4 से स्पष्ट है कि लगभग 72.7उत्तरदात्रियों का कहना हैं कि राजनीतिक भागीदारी से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा हैं। आर्थिक विकास के लिए महिलाओं का योगदान सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं।

5. क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से लैंगिक असमानता मे कमी हुई है?

तालिका–5

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	113	75.3
2	नहीं	37	24.7
	कुलयोग	150	100

जब उत्तरदात्रियों से पूछा गया कि क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से लैंगिक असमानता मे कमी हुई है? तो कुल तीन–चौथाई ने माना कि राजनीतिक सहभागिता से महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव कम हुआ है और वे विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है।

6. क्या स्थानीय चुनावों में महिला आरक्षण के द्वारा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला है?

तालिका–6

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	137	91.3
2	नहीं	13	8.7
	कुल योग	150	100

जब उत्तरदात्रियों से पूछा गया कि स्थानीय चुनावों में महिला आरक्षण के द्वारा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला है, तो 91.3 प्रतिशत ने हाँ कहा और मात्र 8.7 प्रतिशत ने नहीं कहा। इस प्रकार अधिकतम उत्तरदात्रियों द्वारा महिला आरक्षण क़ो राजनीतिक सहभागिता का मुख्य और उचित आधार माना है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष स्वरूप वर्तमान में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से महिलाएं सशक्त हुई है और परिवार में उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से उनकी सामाजिक स्थिति व आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है तथा महिलाओं के प्रति लैंगिक असमानता मे कमी हुई है। इस प्रकार महिलाओं की राजनीति में सहभागिता के सन्दर्भ स्वरूप कह सकते है कि सही मायने में लोकतंत्र का आदर्श रूप तभी प्राप्त हो सकता है, जब शासन और विकास कार्यक्रमों दोनों में ही महिलाओं की सहभागिता निश्चित हो। स्त्री और पुरुष दोनों की समान सहभागिता के बिना विकास कार्यक्रम के अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शासन में महिलाओं की सहभागिता ही यह सुनिश्चित कर सकती है कि समाज को अपने नागरिकों की

प्रतिभा का पूर्ण लाभ मिल रहा है। विगत वर्षो में भारतवर्ष जैसे देशों में महिलाएँ राजनीतिक संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण की मांग करती रही है, जिसके फलस्वरूप स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा चुका है।इस प्रकार स्थानीय चुनावों में महिला आरक्षण के द्वारा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला है।

समस्त व्यवस्था और राजव्यवस्था में महिला अपने लिए समानता और न्यायपूर्ण स्थान अवश्य प्राप्त कर रही है। इस दिशा में यात्रा प्रारम्भ हो चुकी है।बस इस यात्रा की गति को बढ़ाने कीआवश्यकता है। जिसके लिए महिला जागृति और शक्तिशाली राजनीतिक सहभागिता विकास की गति को बढ़ाने में सहायक होंगे। जिससे राष्ट्र लैंगिक समानता का भाव रखते हुए उन्नति की ओर अग्रसर होगा।

संदर्भग्रंथ–सूची :–

1. उमेश सिंह, एवं राजेश कुमार गर्ग, महिला सशक्तिकरण विभिन्न आयाम, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नयी दिल्ली, 2012
2. रोहित मिश्रा, समाज कार्य एवं महिला सशक्तिकरण, न्यूरायल बुक कम्पनी, लखनऊ, 2011
3. डॉ. संगीता विजय, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एक तुलनात्मक अध्ययन, नवजीवन पब्लिकेशन, जयपुर, 2011
4. निशांत सिंह, महिला राजनीति और आरक्षण, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली 2006
5. धल, संगीता, "भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व का मुद्दा : मानवाधिकार, जेण्डर एवं पर्यावरण", वीवा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नईदिल्ली, 2008
6. श्री वास्तव, सुधा रानी व आशा, महिला शोषण एवं मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2006
7. अस्थाना, प्रतिमा : भारत में महिला आन्दोलन, विकास पब्लिकेशन्स, नईदिल्ली, 1974
8. दास, वीना : वीमेन एण्ड पंचायती राज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 1992
9. विद्या, के. सी : पॉलिटिकल एम्पावरमेन्ट ऑफ वीमेन एट द ग्रासरूट्स, कनिष्का पब्लिशर्स, नईदिल्ली, 1997
10. कुरुक्षेत्र पत्रिका, मार्च, 2007
11. पाण्डेय, अजयशंकर, भारत में महिला सशक्तिकरण : ऐतिहासिक विवेचन, गायत्री पब्लिकेशन्स, 2010